भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
सचिवालय समन्वय अनुभाग / Secretariat Coordination Section

अणुशक्ति भवन / Anushakti Bhavan,
छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग / C.S.M. Marg,
मुंबई / Mumbai - 400 001
इ-मेल / Email: sectcord@dae.gov.in

No.GF/89-SCS/13523.

17/10/2016

पृष्ठांकन / ENDORSEMENT

विषय /:
Subject: **Grant of Advances - Seventh Pay Commission recommendations - Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.**

उपरोक्त विषय पर व्यय विभाग, वित्त् मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 07-10-2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(1)/E.II(A)/2016 की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।

A copy of Office Memorandum No.12(1)/E.II(A)/2016 dated 07-10-2016 received from Department of Expenditure, M/o Finance, New Delhi on the above mentioned subject is forwarded for information and necessary action.

संलग्न : यथोपरि / Encl.: As above

17/10/16

(न.ज. खानविलकर / N. J. Khanvilkar)
अनुभाग अधिकारी / Section Officer
(022 – 22862661)

पऊवि के सभी संघटक इकाईयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सहायता प्राप्त संस्थानो के प्रशासनिक प्रध
All Administrative Heads of Constituent Units/PSUs/Aided Instituions of DAE.
प्रतिलिपि / Copy also to:

पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग / All Officers & Sections in DAE Secretariat.
सचिव, स्टाफ साइड, पऊवि विभागीय परिषद् / Secretary, Staff Side, DAE Departmental Council.
गार्ड फाइल संख्या / Guard File No. 89.

No. 12(1)/E.II(A)/2016
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

...

New Delhi, the 7th October, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of advances - Seventh Pay Commission recommendations- Amendment to Rules of Compendium of Rules on Advances to Government Servants.

The undersigned is directed to say that in pursuance of the decision taken by the Government on the Seventh Pay Commission's recommendations relating to advances, all the interest free advances stand discontinued as per attached annexure, with the exception that the interest free Advances for Medical Treatment, Travelling Allowance for family of deceased, Travelling Allowance on tour or transfer and Leave Travel Concession shall be retained.

2. In addition, the advance for training in Hindi through Correspondence Course, which is not mentioned in the Compendium of Rules on Advances to Government Servants, also stands abolished in pursuance of the decision of Government on 7th CPC recommendation.

3. These orders will take effect from the date of issue of this O.M. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.

4. In so far as persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

5. All the Ministries/Departments are requested to bring the amendments to the notice of all its attached and subordinate offices for their information.

Hindi version of this O.M. is enclosed.

(Pankaj Hazarika)
Director, E.II(A)

To

All the Ministries/Departments of the Government of India, etc.

Copy (with usual number of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

AMENDMENT TO COMPENDIUM OF RULES ON ADVANCES TO GOVERNMENT SERVANTS, 2005.

Sl.No.	Name of Advance	GoI Decision on 7th CPC recommendations
1.	Bicycle Advance	Abolished
2.	Warm Clothing Advance	Abolished
3.	Advance of Pay on Transfer	Abolished
4.	Festival Advance	Abolished
5.	Natural Calamity Advance	Abolished
6.	Advance of Leave Salary	Abolished
7.	Advance for Law Suits	Abolished

सं. 12(1)/ई-II(ए)/ 2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली 7 अक्तूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अग्रिम प्रदान किया जाना - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें - सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार संग्रह के नियमों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्रिमों के संबंध में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, संलग्न अनुबंध के अनुसार सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को इस अपवाद के साथ समाप्त कर दिया गया है कि चिकित्सीय उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखें जाएंगे।

2. इसके अतिरिक्त, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अग्रिम भी, जिसका उल्लेख सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों के सार-संग्रह में नहीं किया गया है, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में समाप्त कर दिया गया है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। जिन मामलों में अग्रिमों को पहले से ही मजूरी दे दी गई है, उन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन संशोधनों की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दें।

(पंकज हजारिका)
निदेशक, ई-II(ए)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।
मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को प्रति (अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

सरकारी कर्मचारियों के अग्रिमों से संबंधित नियमों का सार-संग्रह, 2005 में संशोधन

क्र. सं.	अग्रिम का नाम	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार का निर्णय
1.	साइकिल अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
2.	गर्म कपड़ा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
3.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
4.	त्यौहार अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
5.	प्राकृतिक आपदा अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
6.	छुट्टी वेतन अग्रिम	समाप्त कर दिया गया
7.	मुकदमों के लिए अग्रिम	समाप्त कर दिया गया